सरकारी अस्पताल भी लापरवाही के लिए उत्तरदायी

आखिर 10 वर्षों बाद श्रीमती सुधा धोबरीयाल को न्याय मिला जब दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने श्रीमती सुधा के पक्ष में 30 सितम्बर 2007 को अपना फैसला सुनाया व ई एस आई अस्पताल को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 20 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।

सरकारी अस्तपताल (ई एस आई) के डॉक्टरों की लापरवाही से सुधा धोबरीयाल अपनी दोनों टांगें गंवा बैठी। श्रीमती सुधा जब जनवरी 1998 में बसई दारापुर के ई एस आई अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहुंची तो डॉक्टरों ने आनन–फानन डिलीवरी के बाद टांके लगाकर छोड़ दिए। टांके अधखुले रह जाने से श्रीमती सुधा को इन्फैक्शन हो गया, जो कि इतना बढ़ गया कि टांगों में रक्त संचार बंद हो गया। परिणामस्वरूम उसकी दोनों टांगें काट देनी पड़ी।

इस प्रकार का फैसला श्रीमती सुधा के पक्ष में आज भी नहीं हो पाता यदि 2005 में सर्वोच्च न्यायलय ने विस्तारपूर्वक इस विषय पर चर्चा न की होती कि सरकारी अस्पताल की लापरवाही से किस प्रकार पीड़ित व्यक्ति उपभोक्ता अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

जगदीश कुमार वाजपेयी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया , स्वास्थ्य मंत्रालय , कल्याण तथा सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं–सिविल याचिका संख्या 570 / 2002 के मामले में 20 अक्तूबर 2005 का सर्वोच्च न्यायलय का निर्णय इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसकी तर्ज पर आज श्रीमती सुधा को दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग इस प्रकार की राहत दे पाया। उपर्युक्त केस में मामला मैडिकल ऑफिसरों की लापरवाही का था जो कि सी. जी. एच. एस. (केन्द्रीय सामान्य स्वास्थ्य योजना) डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध दायर किया गया था। इस मामले में आपत्ति यही थी कि क्या सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस में फैसला उपभोक्ता के पक्ष में करते हुए ऑफिसरों को लापरवाही के लिए दोषी करार दिया था। यह केस

जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत से होता हुआ राज्य आयोग से लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता तक पहुंचा। शिकायतकर्ता ने कानपुर जिला उपभोक्ता फोरम में वर्ष 1997 में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे 9/6/2000 को यूनियन ऑफ इंडिया की इस आपत्ति पर खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा (2) के तहत उपभोक्ता नहीं माना जा सकता, क्योंकि रोगी ने इलाज के लिए डॉक्टर को कोई राशि नहीं दी थी। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग लखनऊ ने भी 18/10/2001 को निचली अदालत का समर्थन कर दिया।

जब यह मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंचा तो परिस्थितियों को विभिन्न पहलुओं से देखा गया। इलाज में लापरवाही का सबसे पहला केस सर्वोच्च न्यायालय में सन् 1993 में आया था, जिसका निर्णय 1995 में हुआ था। उसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सी और बातों के साथ इस बात का भी खुलासा किया कि इलाज में लापरवाही के लिए कौन शिकायतकर्ता हो सकता है

शिकायतकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि 'सेवा' के लिए उपयुक्त फीस दी गई हो। जहां सेवा सरकारी अस्पताल से ली गई हो उन मामलों में स्थिति क्या होगी, इसी बात पर चर्चा वी शान्था के केस में भी हुई थी तथा उसी निर्णय से यह बात निकलकर आई कि...

- जहां पर सेवा की शर्त के रूप में कर्मचारी व उसके परिवार का चिकित्सा खर्च वहन उसकी कंपनी या सरकार करती है, उन मामलों में अस्पताल या डॉक्टर को कंपनी/दफ्तर द्वारा दिया गया भुगतान 'शुल्क देना' माना जाएगा, अतः रोगी ऐसी स्थिति में उपभोक्ता होगा।
- बीमा कंपनी द्वारा किया गया चिकित्सा भुगतान भी शुल्क होगा।
- चूंकि पेंशन भोक्ता पर सरकार चिकित्सा खर्च, करती है, अतः पेंशन पाने वाला भी इलाज के लिए सरकारी चिकित्सा अधिकारी को दोषी ठहरा सकता है। ठीक उस तर्ज पर राज्य उपभोक्ता आयोग दिल्ली ने श्रीमती सुधा

धोबरीयाल ई एस आई अस्पताल में इलाज करवाने व डॉक्टरों की लापरवाही के कारण दोनों टांगें खो देने पर ई एस आई अस्पताल को दोषी ठहराया।

अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सरकारी अस्पताल में सरकारी कर्मचारी द्वारा सीधे शुल्क न देकर इलाज करवाने पर, पेंशन पाने वाले कर्मचारी द्वारा सरकारी डिस्पेंसरी में इलाज करवाने पर या शुल्क की राशि बीमा कम्पनी या किसी अन्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भुगतान करने पर भी उसे इलाज के लिए दिया गया शुल्क माना जाएगा व इन सभी श्रेणियों में इलाज के समय डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरतने पर वे मैडिकल नैग्लीजेंस के लिए उपभोक्ता अदालत में आ सकते हैं।

- डा॰ प्रेम लता